COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

COURT FEE भारत INDIA TEN RUPEES

(83)

न्यायालय श्रीमान सदस्य राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प उज्जैन (मप्र)

PBR/निगरानी/मन्दसौर/भू.रा/2018/1637 प्रकरण क्रमांक

कचरुलाल पिता भेरुलाल प्रजापत आयु 55 वर्ष
निवासी ग्राम धुंधड़का तहसील व जिला मंदसौर..प्राथी

विरुद्ध

1. अजीज खां पिता मोहम्मद खां आयु 65 वर्ष
2. हमीद खां पिता मोहम्मद खां आयु 62 वर्ष
3. अनवर खां पिता मोहम्मद खां आयु 60 वर्ष
4. सुंगधकुवंर बेवा भेरुसिंह राजपूत आयु 50 वर्ष
5. धनपाल उर्फ बबलु पिता भेरुसिंह आयु 32 वर्ष
6. दशरथसिंह पिता नागुसिंह आयु 50 वर्ष
7. राजेंद्रसिंह पिता शेरसिंह चौहान आयु 41 वर्ष
8. दरबारसिंह पिता तखतसिंह राजपुत आयु 55 वर्ष
9. उमरावसिंह पिता तखतसिंह राजपुत आयु 50 वर्ष
10. श्रवणसिंह पिता तखतसिंह राजपुत आयु 45 वर्ष
11. सुरेंद्रसिंह उर्फ लोकेंद्र पिता विक्रमसिंह आयु 33 वर्ष

समस्त निवासी ग्राम धुंधडका तहसील व जिला मंदसौर ....विपक्षीगण

दीपक कुमावत एड. केम्प उज्जैन पर प्राप्त 22/1/18

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 मप्र भू राजस्व संहिता
विरुद्ध आदेश दिनांक 22.01.2018
प्रकरण क्रमांक 12/अ–13/2016–17
न्यायालय नायब तहसीलदार टप्पा धुंधडका परगना मंदसौर

माननीय महोदय,

निगरानी प्रार्थी की ओर से निम्नप्रकार **प्रस्तुत है**:–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

1. यह कि विपक्षी क्रमांक 1 लगायत 7 की ओर से एक प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 131 व संलग्न धारा 32 मप्र भू राजस्व संहिता का अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्ततु किया गया जिसमें से विपक्षी क्रमांक 1 लगायत 3 द्वारा पृथक से प्रकरण प्रस्तुत किया गया तथा विपक्षी क्रमांक 4 लगायत 7 द्वारा भी पृथक से प्रकरण प्रस्तुत किया गया है। दोनो प्रकरण में एक ही प्रकार की सहायता चाही गई तथा पक्षकार भी समानातंर होने के कारण दोनो प्रकरणों को एक साथ समायोजित किया गया। तथा विपक्षी क्रमांक 1 लगायत 7 का आवेदन यह है कि उनका रास्ता विपक्षी क्रमांक 8 लगायत 11 एवं प्रार्थी की भूमि से होकर सर्वे नंबर 963 से प्रारंभ होकरी सर्वे क्रमांक 968/3 व 964 व 967 के मध्य मेढ से होकर वह अपनी भूमि सर्वे नंबर 968/1/1, 968/1/2 में पहुंचते है जो कि उक्त

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - पीबीआर/निगरानी/मंदसौर/भू.रा./2018/1637

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26.10.2018	आवेदक अधिवक्ता श्री दीपक कुमावत उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी नायब तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 03.01.19 को कलेक्टर, जिला मंदसौर के समक्ष उपस्थित हों। प्रशासकीय सदस्य	